

**न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वि.अति.सत्र न्यायाधीश,**  
**श्रृंखला न्यायालय, चंदेरी,जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**  
**॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर॥**

**विशेष सत्र प्रकरण क्र.-30/2017**  
**संस्थित दिनांक-06.01.2017**  
**फाईलिंग नं.-481/2017**

म.प्र.राज्य द्वारा,  
आरक्षी केंद्र पिपरई,  
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**॥ विरुद्ध ॥**

नीतू पुत्र लाल चंद अहिरवार, घटना के समय उम्र-17 वर्ष,  
उम्र-21 वर्ष, निवासी-पानी की टंकी के पास,  
ग्राम पिपरई, जिला-अशोकनगर

..... **अभियुक्त**

---

पुलिस थाना पिपरई, जिला-अशोकनगर के अपराध क्र.-209/16 अंतर्गत धारा 363, 376 भादसं. एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दिनांक 06.01.2017 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर उद्भूत।

---

अभियोजन की ओर से                    :- श्री मुकेश राजपूत लोक अभियोजक।  
अभियुक्त की ओर से                    :- श्री शैलेन्द्र सुमन अधिवक्ता।

---

**-:: आदेश ::-**

**(धारा 232 द.प्र.स. के प्रावधानों के अंतर्गत  
आज दिनांक 25.04.2018 को पारित)**

1. उक्त अभियुक्त को भादसं. की धारा 366 भादसं. एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा 376 (2) भादसं. के अंतर्गत अपराध में अभियोजित किया गया है।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.2016 को अभियोगी गुड्डी बाई ने पुलिस थाना पिपरई में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 13.10.2016 को शाम 6 बजे लेट्रीन करने जाने की कह कर घर से चली गई थी जो लौटकर घर नहीं आई। उसे आसपास रिस्तेदारी में तलाश किया नहीं मिला। उसे संदेह है कि पिपरई का आटो चलाने वाला लडका नीतू अहिरवार उसकी लडकी (अभियोक्त्री) को बहला-फुसला कर ले गया है। इस सूचना पर थाना पिपरई द्वारा गुम इंसान की सूचना 9/16 दर्ज की गई।

## **.2. विशेष सत्र प्रकरण क्र.-30 / 2017**

जांच के दौरान अभियोक्त्री के मिलने पर उसके कथन लेने पर पाया कि अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर शादी करने के उद्देश्य से भगा कर ले गया।

3. इस पर पुलिस थाना पिपरई द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र.-209/2016 अंतर्गत धारा 363, 376 भादसं एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध कायम किया गया। अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। उसकी उम्र के संबंध में स्कूल से दस्तावेज प्राप्त किए गए। जिसके अनुसार घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन करवाए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं उसका भी मेडीकल परीक्षण कराया गया। अस्पताल से प्राप्त सामग्री को जांच हेतु विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष न्यायालय (प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुंगावली, जिला-अशोकनगर) में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश क्र.-14/3-9-3/स/2010 दिनांक 23.04.2018 के पालन में इस न्यायालय को विचारण हेतु अधिकृत करते हुए अंतरण पश्चात् यह प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त को उपरोक्तानुसार अपराध के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया।

### **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-**

01.	क्या, दिनांक 13.10.2016 को शाम के करीब 06:00 बजे पिपरई थाना अंतर्गत ग्राम आकेत से बालिका काजल धानुक जो अवयस्क थी, का इस आशय से कि वह आयुक्त संभोग के लिए विवश/विलुब्ध की जायेगी व उससे विवाह करने के आशय से, विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया ?
02.	क्या, दिनांक 13.10.2016 से 14.10.2016 की दरम्यानी रात्रि में पिपरई स्थित अपने आवासीय भवन में काजल धानुक जिसकी उम्र-18 वर्ष से कम होने के कारण बालक थी, के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला किया ?
03.	<b><u>विकल्प में :-</u></b> क्या, दिनांक 13.10.2016 से 14.10.2016 की दरम्यानी रात्रि में पिपरई स्थित अपने आवासीय भवन में काजल धानुक जिसकी उम्र-16 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया ?

**विचारणीय प्रश्न क-1, 2 व 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष:-**

— उक्त विचारणीय बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ.सा-2, उसकी मां गुड्डी बाई अ.सा-1, प्रधान आरक्षक दिनेश कुमार शर्मा अ.सा-3, भाई मनोज अ.सा-4 के कथन कराए गए हैं। अभियोक्त्री अ.सा-2, उसकी मां गुड्डी बाई अ.सा-1 एवं भाई मनोज अ.सा-4 ने अभियोजन कहानी से विचलित होते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है बल्कि अभियोक्त्री अ.सा-2 ने एक नई कहानी न्यायालय में यह बताई है कि उसकी मां गुड्डी बाई से उसकी लड़ाई हो गई थी तो वह अपने चाचा सरूप के घर ग्राम पीरा थाना पिपरई चली गई थी। दूसरे दिन अपने घर ग्राम आकेत वापस आ गई थी। उक्त साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ऐसा कोई तथ्य उनके कथनों में नहीं आ सका है, जिससे अभियोजन को सहायता मिलती हो। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का उसके माता-पिता की विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किए जाने और उक्त व्यपहरण उसके साथ अयुक्त संभोग करने हेतु विवश व विलुब्ध करने के आशय से किए जाने एवं अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में घटना की एकमात्र साक्षी अभियोजन कहानी अनुसार केवल अभियोक्त्री ही है।

6. अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम होने के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के स्कूल के प्रधान अध्यापक शासकीय प्राथमिक विधालय आकेत, चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा प्रमाणिकरण प्रस्तुत कराया गया है। परंतु उक्त प्रमाणिकरण अधिकारी को उपस्थित कर प्रमाणित नहीं कराया गया है। वैसे भी उक्त पंजी स्कालर के आधार पर दी गई है जन्म संबंधी प्राथमिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में उसके प्रमाणित होने से भी अभियोजन को कोई सहायता अभियोक्त्री व उसके माता एवं भाई के कथनों के प्रकाश में नहीं मिलती है।

7. उक्त परिस्थितियों में धारा 232 दप्रसं. के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त नीतू अहिरवार पुत्र लाल चंद अहिरवार को धारा 366 भादसं. एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा 376 (2) भादसं. के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

8. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् या अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नष्ट की जावे।

**.4.** विशेष सत्र प्रकरण क्र.-30 / 2017

9. अभियुक्त के जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय  
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥  
प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.  
न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी,  
जिला—अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥  
प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.  
अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय  
चंदेरी, जिला—अशोकनगर